open the new scheme shortly in those areas of programming which are required as per programme needs.

Special financial grants for development of Guwahati

494. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any provision for special financial grants for the development of cities ;

(b) if so, what is the number of cities provided with such grants during 1986-87 and 1987-88; and

(c) whether special financial grant is proposed to be given to Guwahati during the current financial year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) and (b) There is no scheme for providing special finacial grants for the development of cities. Funds for urban development are provided in the State Plans. Besides, central plan assistance is also provided under the 2 centrally sponsored schemes of integrated development of small and medium towns and urban basic services. Efforts are also made to obtain external assistance for appropriate specific projects. However, considering Bombay's acute problems of housing and slums it has been decided to provide non-plan assistance of Rs. 100 Crores to the Government of Maharasthra for this purpose. Moreover, the 9th Finance Commission in its First Report has also recommended special grants-in-aid for upgradation of standards of administration and special problems of the States. These grants include, *inter-alia*, provision of Rs. 50 Crores each to the Governments of Maharasthra and West Bengal for slum clearance and environmental improvement of slums and provision of basic amenities in Bombay and Calcutta, Rs. 10 Crore to the Govt. of J&K for restoration and protection of Dal Lake and Rs. 47 Crore for improvement of infrastructure in the newly created States of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Sikkim and Nagaland.

(c) No, Sir.

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

495. श्री राम जेटमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ माह के दौरान खुले बाजार में चीनी के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्रों और विशेषतः दिल्ली में गत दो माह के दौरान चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ।

(ग) मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने मूल्यों में इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय किए हैं तथा इससे चीनी के बाजार मूल्यों पर कितना असर पड़ा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और पांडिचेरी में चीनी के थोक मूल्य निम्नानुसार चल रहे हैं:—

मौसम : 1988-89 (अक्तूबर-सितम्बर)

(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख को स्थिति के अनुसार	दिल्ली		पांडिचेरी
	एम०-30	एस०-30	एस.-30
मई, 1989			
5	780	760	725
15	775	760	730
22	775	755	750
31	780	760	770
जून, 1989			
7	770	750	675
15	785	770	715
22	785	770	690
30	825	810	750
जुलाई, 1989			
7	870	850	760
13	885	865	770

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये) तथापि इस वर्ष चीनी के उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आने के कारण बाजारमें सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां लाने की वजह से हाल चीनी के मूल्यों में तेजी आयी है ।

विवरण

चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

(1) मुक्त बिक्री मासिक कोटे की अधिक निर्मुक्ति--मई, 1989 के दौरान 5 लाख मीटरी टन और जून, 1989 के दौरान 5.50 लाख मीटरी टन तथा जुलाई, 1989 के दौरान 5.00 लाख मीटरी टन जबकि अप्रैल, 1989 के दौरान 4.50 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी ।

(2) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की बिक्री और प्रेषण पर साप्ताहिक प्रतिबंध मई, 1989 से पुनः लगा दिए गए हैं (प्रत्येक सप्ताह में कुल मासिक कोटे का न्यूनतम 20% ।

(3) खंडसारी निर्माताओं को निदेश दिए गए कि वे 7 मई, 1989 को स्थिति के अनुसार 5 दिन की अवधि के अन्दर अपने स्टाक घोषित करें और अपने अवशेष स्टाक का कम से कम

25% स्टाक मई, 1989 के दौरान बेच दें तथा जून, से सितम्बर, 1989 तक के बाद संबंधित महीनों के दौरान के प्रत्येक महीने के लिए 30 स्टाक की बिक्री करें।

(4) एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में लाइसेंसशुदा व्यापारियों के पास चीनी का स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल और एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के मामले में यह सीमा 250 क्विंटल से घटाकर 125 क्विंटल कर दी गई है। स्टाक को निकालने की अवधि भी 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है।

देश में खण्डसारी व्यापारियों के मामले में स्टाक रखने की सीमा 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल कर दी गई है।

(5) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं और चीनी, खंडसारी तथा गड़ के व्यापारियों पर लाग विभिन्न विनियामक नियंत्रणों को लागू करना सुनिश्चित करें।

(6) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों से कहा गया है कि यदि नेपाल और बंगलादेश को चीनी, गुड़ और खंडसारी की तस्करी की जाती है तो वे उसे रोकें।

(7) चूककर्ता मिलों के विरुद्ध उपचारी कार्रवाई करने के लिए चीनी मिलों द्वारा साप्ताहिक प्रेषणों पर नजर रखी जाती है।

(8) उद्योग के परामर्श से दिल्ली [illegible] सुधार न्यास, केन्द्रीय भण्डार और दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम आदि जैसे सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिये तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कछ शहरों में उद्योग द्वारा विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर 7.75 रुपये प्रति किलो की दर पर चीनी की बिक्री करने के प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

राज्य सरकारों को उचित दामों पर चीनी की बिक्री करने के लिए इसी प्रकार के प्रबंध करने का परामर्श दिया गया है।

(9) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में उसी शहर अथवा शहरी क्षेत्र के अंदर एक थोक व्यापारी द्वारा अन्य थोक व्यापारी को चीनी की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

(10) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य में स्थित चीनी फैक्ट्रियां बिक्री और प्रेषण के उपबंधों का अनुपालन करती हैं और वैध अवधि के अंदर ही समस्त मात्रा की बिक्री सुनिश्चित करती हैं।

(11) सभी चीनी फैक्ट्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी प्रकार के कागजी सौदों से बचने के लिए प्रथम क्रेता के नाम पर चीनी की बिक्री के ब्यौरों की प्रविष्टि करें।

खाद्यान्न उत्पादन

496. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1988-89 के दौरान देश में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन 172 मीट्रिक टन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बढ़े हुए इस अनुमानित उत्पादन का श्रेय विशेष धान कार्यक्रम तथा तकनीकी मिशन को जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष अधिक उत्पादन होने के बावजूद सरकार द्वारा